2025/504

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

नरेन्द्र कुमार ढाका .... बनाम .... तहसीलदार धोद

.... मु.नं. 297 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा .... 136 LR

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	प्रार्थी नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 99 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेश पुत्र भंवरलाल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 238 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका है। प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड व पैनकार्ड आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेश पुत्र भंवरलाल/नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका दुरूस्त किया जावें।
	प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1317 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।
	अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 99 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेश पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 238 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि नरेन्द्र पुत्र भंवरलाल के स्थान पर नरेन्द्र कुमार ढाका पुत्र भंवर लाल ढाका दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्ठि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तर[illegible] हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित [illegible] प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.[illegible] 2025/1317 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धो[illegible] को लिखा जावें।
	आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।
	उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला–सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.11 16:13:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner